राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 124/2024

भंवरलाल बिडयासर **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2024
आदेश की दिनांक : 06.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवाड़ी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का नाम रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद के लिये पदोन्नति हेतु क्रम संख्या 161 और 162 के बीच जोडा जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें एवं उक्त पद के लिये परीक्षा में अंकों को दर्शाया जावे तथा समस्त रिवार्ड आदि का अंकन किया जावे और अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति उपरांत पीसीसी हेतु भेजा जाकर समस्त लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाते हुये सहायक उप निरीक्षक के पद पर दिनांक 07.02.2004 को हुई थी और उप निरीक्षक के पद के लिये अपीलार्थी सफल हुआ तदुपरांत उसे पुलिस उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1828 पर दर्शाया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.11.2019 के द्वारा पुलिस निरीक्षक के

पद पर पदोन्नति के लिये 120 रिक्त पद रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने भी उक्त पद पर पदोन्नति के लिये भाग लिया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम दिनांक 15.12.2019 को घोषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी उत्तीर्ण हुआ और उसका नाम क्रम संख्या 201 पर दर्शाया गया। तदुपरांत दिनांक 19.12.2019 को आउटडोर परीक्षा के लिये अपीलार्थी को बुलाया गया, जिसमें अपीलार्थी सफल हुआ। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों का उल्लेख करते हुये सूचना दी गई। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्मिकों की सेवाभिलेख का संधारण करना विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग इस जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकता कि साक्षात्कार के समय सेवाभिलेख संबंधित कार्मिक को दिखाया गया था। अपीलार्थी ने उस समय साधारण रूप से सेवाभिलेख का परीक्षण किया था। उनका कथन है कि समस्त रिवार्ड की एंट्री सर्विस बुक में समाविष्ट नहीं थी और इस प्रकार वह दोषमुक्त नहीं हो सकते। माननीय अधिकरण के समक्ष इस तरह के कई मामले प्रस्तुत किये गये हैं और अधिकरण द्वारा दिनांक 16.10.2021 को निर्णय भी दिया गया है, जिसमें रिक्तियों का सही निर्धारण, अतिरिक्त रिक्त पदों को जोडने हेतु विभाग को निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी कई रिट याचिकायें प्रस्तुत की गईं और यह दिनांक 16.08.2021 को समस्त अपीलें निस्तारित करते हुये आदेश दिनांक 19.10.2022 को निर्देश दिये गये कि एक समिति गठित की जावे और रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पदों का पुनर्निधारण किया जावे और इस प्रकार उक्त पदोन्नति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। आदेश दिनांक 07.12.2023 के द्वारा पुलिस निरीक्षक की चयनित सूची रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध जारी की गई, जिसमें 166 अभ्यर्थियों का चयन दर्शाया गया और जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं दर्शाया गया। जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवाभिलेख में दर्ज रिवार्ड आदि की पुनः जांच की, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सही दर्ज नहीं की गई और न ही गलतियों को सुधारा गया। जबकि अपीलार्थी के रिवार्ड में 9 के बजाय 17 अंक होने चाहिये, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 27.12.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध

पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। जबकि अपीलार्थी दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2019 तक रिवार्ड के अनुसार उक्त पद पर रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक पद के लिये पदोन्नति हेतु योग्य था। इसी समान मामले में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8033/2020 गिरधारी सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि प्रार्थी के शेष अंक जो अवार्ड से प्राप्त हुये हैं जो पदोन्नति के योग्य हैं उन्हें वर्ष 2019–20 से पदोन्नति दी जायेगी। इसी प्रकार सत्यवीर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य अपील संख्या 3286/2023 में माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.12.2023, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग को एक माह के अंदर सही तरीके से मामले का निस्तारण करने हेतु आदेश दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के मामले में भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मनमाना रवैया अपनाया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का नाम रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद के लिये पदोन्नति हेतु क्रम संख्या 161 और 162 के बीच जोडा जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें एवं उक्त पद के लिये परीक्षा में अंकों को दर्शाया जावे तथा समस्त रिवार्ड आदि का अंकन किया जावे और अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति उपरांत पीसीसी हेतु भेजा जाकर समस्त लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाते हुये सहायक उप निरीक्षक के पद पर दिनांक 07.02.2004 को हुई थी और उप निरीक्षक के पद के लिये अपीलार्थी सफल हुआ तदुपरांत उसे पुलिस उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1828 पर दर्शाया गया। अपीलार्थी ने इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.12.2023 एवं 13.12.2022 को चुनौती दी है। आदेश दिनांक 07.12.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर चयन की अनुशंषा की

थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। अपीलार्थी ने उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर योग्यता परीक्षा वर्ष 2019–20 के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्हें सराहनीय कार्य के लिए प्राप्त हुए प्रशंषा पत्रों को सेवापुस्तिका में इन्द्राज करने बाबत् कथन किया था, परंतु उसके बाद भी अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में समस्त प्रशंषा पत्रों का उल्लेख नहीं किया गया, जिस कारण से अपीलार्थी को सही अंक प्राप्त नहीं हो सके और अपीलार्थी को पुलिस निरीक्षक के पद पर चयन से वंचित रखा गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8033/2020 में गिरधारी सिंह के संबंध में प्राप्त समस्त अवॉर्ड के अनुसार अंक दिये जाने और उसके पश्चात याची को पदोन्नति हेतु योग्य पाये जाने पर उसे नोशनल पदोन्नति दिये जाने के आदेश दिये हैं। रिट याचिका संख्या 8033/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 निम्न प्रकार से हैः–

> *"9. Being prima facie satisfied, the Court expressed a concerned that if the respondents are directed to award 14 (20-6) additional marks, he may get promotion but rights of some already promoted candidates may be adversely affected and thus it may be against propriety to grant relief behind the back of such candidates.*
>
> *10. Learned counsel for the petitioner Invited Court's attention towards para No.11 of the writ petition and submitted that one Brij Prakash, would have been an affected candidate but since he has passed away during the promotion cadre course, one post is still lying vacant for the relevant year.*
>
> *11. Heard learned counsel for the parties and perused the material available on record.*
>
> *12. Concededly, the petitioner had received 12 awards, out of which only 3 were recorded in his service book.*
>
> *13. On petitioner's representation, the remaining awards came to be entered in petitioner's service book, however subsequent to promotion exercise. Nevertheless, it is an admitted fact on record that the petitioner had received 12 awards in all during his tenure as Sub-Inspector.*
>
> *14. In the opinion of this Court, the petitioner cannot be deprived of his legitimate rights because of the lapse on the part of the respondents.*
>
> *15. True it is, that the petitioner was shown his service-book, whereafter he had given a certificate after being satisfied, but then, the petitioner cannot be put to a disadvantageous position, when it is an admitted case of the parties that he had received 12 awards in all.*
>
> *16. In the opinion of this Court, even if the petitioner would have objected to or made representation to the respondents about non-inclusion of the remaining awards, it would have been a tedious task to include them and then give him full marks as per his entitlement. Because, recording of entry of the awards after verification would have taken a long time.*

17. Be that as it may.

18. In the facts and circumstances of the present case, it is deemed expedient and hence ordered that the respondents shall accord due marks to the petitioner in relation to all awards he has received during his tenure as Sub-Inspector.

19. In case after the reallocation of marks, the petitioner becomes eligible for promotion, the petitioner shall be notionally given promotion with effect from the year 2019-2020. The petitioner shall be entitled for actual benefits from the date of the order instant.

20. Needful be done within eight weeks from today.

21. The writ petition stands allowed accordingly.

22. The stay application also stands disposed of."

अपीलार्थी का मामला भी उक्त रिट याचिका के समान ही है। इस प्रकार अपीलार्थी के मामले में भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी ने प्राप्त किये अवॉर्डो को ध्यान में रखते हुए अंक प्रदान किये जाये। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसके उप निरीक्षक पद पर रहने के दौरान प्राप्त समस्त अवॉर्डो को ध्यान में रखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8033/2020 में पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थी को अंक प्रदान किये जाये। इसके पश्चात् अपीलार्थी यदि पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को नोशनल पदोन्नति का लाभ दिया जाये एवं वास्तविक लाभ इस आदेश की दिनांक से प्रदान किया जाये। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथी से एक माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य